(220)

सारस गणना/अति महात्वपूर्ण/ई–मेल

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्री पवन वेबसाइट पर डालें। पत्रांक 1128 / 1-5 लखनऊः दिनांकः अक्टूबर 28 2016

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

PCCF (I.T)
04 NOV 2016

विषयः– शीतकालीन सारस गणना वर्ष–2016

महोदय,

आप द्वारा दिनांक 25.06.2016 एवं 26.06.2016 को ग्रीष्मकालीन सारस गणना का सराहनीय कार्य किया गया था। पुनः पूरे प्रदेश में शीतकालीन सारस गणना कार्य पूरे मनोयोग से किया जाना है। गणना हेतु दिनांक 14.12.2016 एवं 15.12.2016 की तिथि निश्चित की जाती है। पूरे प्रदेश में इसी दिवस को सारस गणना की जानी है। शीतकालीन सारस गणना के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु स्थानीय स्कूली बच्चों तथा स्थानीय नागरिकों को अवश्य शामिल किया जाय। इस सम्बन्ध में आप द्वारा अपनायी जाने वाली रणनीति का अनुमोदन अधोहस्ताक्षरी से **15 दिन के अन्दर** अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। इस कम में निम्नानुसार सामान्य दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं।

सारस गणना हेतु सामान्य निर्देश

1. सारस गणना कार्य हेतु प्रत्येक प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अपने–अपने क्षेत्र के लिये को–आर्डिनेटर होगें।
2. गणना कार्य के लिए इच्छुक NGO'S (स्थानीय गैर सरकारी सगंठनों) एवं प्रकृति प्रेमियों का सहयोग अवश्य लिया जाये। विगत गणना में सहायता करने वाले सगंठनों की सूची संलग्न है। इस सूची के इतर सगंठन से भी सहायता ली जा सकती है।
3. अपने क्षेत्र के लिए वन रक्षक गणना टीम का लीडर होगा। वन रक्षक के कार्य क्षेत्र में कई वेटलैण्ड होने पर एक से अधिक टीम का आवश्यकतानुसार गठन किया जायेगा। ऐसे वन प्रभाग जहॉ वर्ष 2010, 2012 तथा जून 2013, दिसम्बर 2013, जून 2014, दिसम्बर 2014, जून 2015 दिसम्बर 2015, जून 2016 में सारस की संख्या शून्य दर्शायी गयी थी वहॉ पुनः विभागीय स्टाफ के माध्यम से जनपद के सभी मुख्य वेटलैण्ड क्षेत्र को गणना के समय भलीभॉति सर्वे करके रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाये।
4. **प्रत्येक गणना स्थल पर गणना प्रातःकाल 7.00 बजे से 8.30 बजे एवं सांयकाल 3.00 बजे से 5.00 बजे के मध्य एक–एक बार की जायेगी** तथा दोनों में से अधिकतम संख्या को वास्तविक संख्या माना जायेगा। गणना स्थल यथा–सम्भव ऊँचे स्थान पर या ऐसे स्थान पर होना चाहिए, जहां से अधिकाधिक संख्या में सारस देखे जा सकें।
5. प्रत्येक गणना स्थल पर टीम द्वारा सारस का कम–से–कम एक डिजिटल फोटो भी लिया जायेगा।
6. प्रत्येक गणना स्थल का जी.पी.एस. रीडिंग अर्थात अक्षांश एवं देशान्तर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
7. टीम द्वारा भरे गये गणना प्रपत्र एवं फोटो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जो कि गणना प्रपत्रों के आधार पर अपने प्रभाग में पाये गये सारस की संख्या एवं

फोटो दिनांक 18.12.2016 तक अपने–अपने वन संरक्षकों के माध्यम से एवं सीधे अग्रिम प्र मुख्य वन संरक्षक, इको विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

8. गणना कार्य में यथा संभव राजकीय संरचना का उपयोग करते हुए व्यय को न्यूनतम रखा जाये।
9. सभी प्रभागीय वनाधिकारी अपने–अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करेगें कि सारस गणना का कार्य सभी सारस वास–स्थलों पर सुचारू रूप से सम्पन्न हो जाये।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

27/10/16

(एस0 के0 शर्मा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या 1128 / 1-5 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

27/10/16

(एस0 के0 शर्मा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या 1128 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0 इन्दिरा नगर शीशमबाग लखनऊ को मय संलग्नक के इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे वन विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

27/10/16

(एस0 के0 शर्मा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वर्ष 2016 सारस गणना प्रपत्र

तिथि 14-12-16 एवं 15-12-16

प्रभाग / जनपद का नाम .....

स्थल का नाम .....

निकटस्थ शहर का नाम.....

अक्षांश.....

देशान्तर.....

सारस की सूचना :–

प्रातःकाल (6.00 से 7.30 बजे तक)

गिने गये सारस की संख्या

वयस्क (संख्या)..... बच्चे (संख्या)..... कुल (संख्या).....

सांयकाल (5.00 से 7.30 बजे तक)

गिने गये सारस की संख्या

वयस्क (संख्या)..... बच्चे (संख्या)..... कुल (संख्या).....

वेटलैण्ड का प्रकार :– (सम्बन्धित को (√) करें)

1. पोखरा ☐
2. नहर ☐
3. झील ☐
4. नदी ☐
5. कृषि ☐
6. अन्य (उल्लेख किया जाये).....

वासस्थल को खतरा :– (सम्बन्धित कारणों को (√) करें)

1. अज्ञात ☐
2. कृषि क्षेत्र का विस्तार ☐
3. मिट्टी की निकासी (ईट बनाने हेतु अथवा अन्य कारणों से) ☐
4. वनस्पतियों की सफाई ☐
5. वनस्पतियों का अत्याधिक विस्तार ☐
6. भूमि का पुर्न अर्जन (अतिक्रमण आदि) ☐
7. मछली मारना ☐
8. गाद भरना (सिल्टेशन) ☐

प्रदूषणः–

1. घरेलू गंदगी ☐
2. औद्योगिक कचरा ☐
3. ठोस कचरा (प्लास्टिक एवं धातु इत्यादि) ☐
4. कीटनाशक (यदि वेटलैण्ड में प्रवाहित हो रहा हो) ☐
5. खाद (यदि वेटलैण्ड में प्रवाहित हो रहा हो) ☐

वासस्थल के स्वामित्व का प्रकार :– (सम्बन्धित को (√) करें)

सरकारी ☐ निजी ☐ अज्ञात ☐

वासस्थल के संरक्षण का स्तरः– (सम्बन्धित को (√) करें)

संरक्षित ☐ असंरक्षित ☐

गणना कर्मियों के हस्ताक्षर नाम एवं पताः–